कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-द्वितीय, प्रयागराज

पत्रांक:-ले०हक०-2/03/नि०सं०(प्र०)/वर्ग-2/126/2023/खंड-I/ 130, दिनांक:-24 /05/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,

संबन्धित खण्ड

लो०नि०वि०/सिंचाई/ग्रा०अ०वि०/भू० जल०एवं अन्य विभाग

विषय:- त्रैमासिक आंकड़ो का मिलान कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या नि°स°प्र°/म°लेखा/356 दिनांक 11-12-2012 एवं पत्रांक-ले० हक०-2/03/नि०सं०(प्र०)/वर्ग-2/126/2023/खंड-1/86 दिनांक;10/05/2023 का संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का मिलान निर्धारित तिथि क्रमशः 25 अगस्त, 25 नवम्बर, 25 फरवरी एवं 25 मई तक अवश्य करा लिया जाये । किन्तु खंडों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास के विभिन्नता विवरण विलंब से प्रेषित किए जाने एवं कोषागार प्रणाली (CCL) के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय के आंकड़े प्रेषित न किए जाने के कारण इस कार्यालय द्वारा मिलान की प्रक्रिया निर्धारित अवधि मे पूर्ण नहीं की जा सकी है, जिसे महालेखाकार महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने खंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के चतुर्थ त्रैमास तक के कोषागार प्रणाली (CCL) के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय के आंकड़ों का विभिन्नता विवरण दिनांक 26.05.2023 तक इस कार्यालय मे प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ताकि मिलान की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जा सके तथा आंकड़ों मे भिन्नता पाये जाने पर मार्च पूरक लेखा पूर्ण होने से पूर्व संशोधन किया जा सके । समय से मिलान न कराने की स्थिति में लेखा सम्बन्धी किसी भी विसंगति पाये जाने पर खण्ड पूरी तरह से उत्तरदायी होगा ।

भवदीय

24/05/2023

वरि°लेखाधिकारी/निर्माण समन्वय (प्र०)

पत्रांक:-ले०हक०-2/03/नि०सं०(प्र०)/वर्ग-2/126/2023/खंड-I/ दिनांक:- /05/2023

प्रतिलिपि-

1. वरिष्ठ/खंडीय लेखाधिकारी संबन्धित खण्ड, को इस आशय से प्रेषित कि चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का मिलान उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि मे कराया जाना सुनिश्चित करें । विलंब की स्थिति मे विलंब के कारणो से भी अवगत कराना सुनिश्चित करे जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सके । साथ ही इस पत्र की एक प्रति संबन्धित अधिशासी अभियंता को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
2. वरि०ले०अ०/कम्प्युटर प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र को कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

वरि°लेखाधिकारी/निर्माण समन्वय (प्र०)